

09/5/24

पत्रावली पेश हुई। अभयपत्र <sup>की</sup> धारि नही  
आये है पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। अवलोकन किये जाने पर प्रतीत  
होता है कि प्रकरण में शामिल हेतु अन्य  
अवसर दिए जाने से उपरान्त भी समान  
पेश नही किए गए है। तलबना समान  
पेश न करने से कारण वादी का बंध  
09RS जारी में खारिज किया जाता  
है पत्रावली फॉटल शुमार होकर दर्ज  
नम्बर से कम हो। आदेश खुले  
न्यायालय में पुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

